न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –69/2016 जिला दौसा ।

लल्लू प्रसाद दत्तक पुत्र धापा देवी बेवा नन्दलाल, उम्र–65 वर्ष , जाति ब्राह्मण, निवासी– वार्ड संख्या 24, ऊपरलापाडा, कस्बा लालसोट, दौसा (राजस्थान)

अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ।
3. विष्णु पिसरान स्व. रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राह्मण (लदनियां)
4. महेश पुत्र रामेश्वर प्रसाद, नेहरू कॉलोनी कस्बा लालसोट, दौसा ।
5. दिनेश पुत्र रामेश्वर प्रसाद, नेहरू कॉलोनी कस्बा लालसोट, दौसा ।
6. पांचूराम पिसरान स्व. प्रभू लाल जाति ब्राह्मण, निवासी ऊपरलापाडा, वार्ड संख्या 24 कस्बा लालसोट, जिला दौसा ।
7. बृज मोहन पिसरान स्व. प्रभू लाल जाति ब्राह्मण, निवासी ऊपरलापाडा वार्ड संख्या 24, कस्बा लालसोट, जिला दौसा ।
8. सूरज पिसरान जगदीश जाति ब्राह्मण, निवासी लालसोट, हाल निवासी दैनिक भास्कर कार्यालय के सामने चौथी मंजिल अशोक चौक, नागपुर (महाराष्ट्र)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 6.10.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री चन्द शेखर शर्मा
2. राजकीय अधिवक्ता
3. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 8 की ओर से कोई हाजिर नहीं ।

निर्णय

दिनांक 10.4.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 6.10.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि आराजी खसरा नम्बर 1495 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा लालसोट, जिला दौसा में से 1/3 हिस्से का खातेदार रामनिवास था जिसके फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 822 पुत्र संतान नहीं होने पर उसकी लडकियॅा दुर्गा देवी, गुल्ली देवी व धापा देवी के नाम तस्दीक हुआ । इसके पश्चात् धापा देवी पुत्री रामनिवास के लॅाओलाद फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 1432 तहसीलदार लालसोट ने मृतक धापा देवी की बहिने दुर्गा देवी व गुल्ली देवी पुत्रियां रामनिवास के नाम दिनांक 9.7.1990 को स्वीकार किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 1432 दिनांक 9.7.90 के खिलाफ अपीलान्ट लल्लू प्रसाद दत्तक पुत्र धापा देवी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 30.4.2015 को करीबन 25 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी , जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.10.2015 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1432 दिनांक 9.7.90 मृतक की बहिनों के नाम विधिवत रूप से खोलने , अपीलान्ट लल्लू प्रसाद के दत्तक पुत्र के हक होने या नहीं होने का प्रश्न सक्षम न्यायालय से ही तय होने तथा अपील लगभग 25

वर्ष बाद पेश होने से अपील खारिज किया जाना उचित समझते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है व प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1432 दिनांक 9.7.90 बहाल रखा है ।

अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 6.10.2015 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 6.10.2015 एवं तहसीलदार लालसोट के नामांतरकरण आदेश दिनांक 9.7.90 निरस्त किये जाकर अपीलार्थी के पक्ष में नामांतरकरण खोले जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 8 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि की खातेदार धापा देवी थी । धापा देवी के पति नन्द लाल तथा पुत्र बिरदी चन्द की मृत्यु होने पर अपीलान्ट धापा देवी के जेठ का पुत्र होने के कारण धापा देवी की सेवा करता रहा तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15–16 के तहत धापा देवी की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है । उनका कहना था कि धापा देवी की अपीलान्ट द्वारा जीवन पर्यन्त सेवा की है तथा मृत्यु के बाद उनका क्रिया कर्म भी अपीलार्थी द्वारा ही किया है । धापा देवी ने अपने जीवन काल में 1972 के बाद अपीलार्थी को सामाजिक रीति के अनुसार गोद लिया था जिसका परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई विरोध नहीं किया । तहसीलदार द्वारा मृतक धापा देवी की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलार्थी को बिना सुने व बिना वारिसान की जॉच किये विधिक वारिस अपीलार्थी को छोडकर मृतक धापा देवी की बहिनों के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने भी प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी स्थिति को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की अपील खारिज कर प्रश्नगत नामांतरकरण को बहाल रखने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा अपीलार्थी के नाम नामांतरकरण खोलने के आदेश पारित किये जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 7 सुप्रिम कोर्ट केसेज 2005 पेज 431, ए.आई.आर. 1987 सुप्रिम कोर्ट 1353 , आर.आर.डी. 2010 पेज 405 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 6.10.2015 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1432 दिनांक 9.7.90 को उचित एवं विधिसम्यक बताया एवं कथन किया कि अपीलान्ट को मृतक धापा देवी के दत्तक पुत्र होने के आधार पर अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने चाहिये क्योंकि विधिक रूप से नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में दत्तक के विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्न तय नहीं किये जा सकते । वैसे भी नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार धापा देवी पुत्री रामनिवास की विरासत का है । तहसीलदार ने धापा देवी की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक धापा देवी के लाऔलाद फौत होने पर उसकी बहिने दुर्गा देवी एवं

गुल्ली देवी के नाम तस्दीक किया गया है । अपीलान्ट लल्लू प्रसाद मृतका धापा देवी के जेठ का पुत्र होने एवं धापा देवी द्वारा गोद लिये जाने के आधार पर धापा देवी की भूमि अपने नाम कराना चाहता है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.10.2015 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1432 दिनांक 9.7.90 मृतक की बहिनों के नाम विधित रूप से खोलने , अपीलान्ट लल्लू प्रसाद के दत्तक पुत्र के हक होने या नहीं होने का प्रश्न सक्षम न्यायालय से ही तय होने तथा अपील लगभग 25 वर्ष बाद पेश होने से अपील खारिज किया जाना उचित समझते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है व प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1432 दिनांक 9.7.90 बहाल रखा है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट मृतक खातेदार धापा देवी का दत्तक पुत्र होने के आधार पर उसकी भूमि में हक चाहता है । चूंकि दत्तक का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकता । दत्तक के संबंध में विभिन्न न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य कोई व्यक्ति विरासतन हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो नियमित वाद के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है । नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें दत्तक के संबंध में अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । अपीलान्ट दत्तक के आधार पर अपने अधिकार सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के माध्यम से तय कराने हेतु स्वतंत्र है । अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 6.10.2015 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1432 दिनांक 9.7.1990 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.4.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर